



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062025-264035
CG-DL-E-21062025-264035

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2705]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20 2025/ज्येष्ठ 30, 1947

No. 2705]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

का.आ. 2771(अ).—यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार के लिए यह जनहित में आवश्यक है कि नागालैंड राज्य में उत्तर-पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के दीमापुर - इम्फाल - नागालैंड खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु, एम/एस इंड्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जाए;

और, यह भी प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन को बिछाने के उद्देश्य से, उस भूमि में जिसके नीचे यह पाइपलाइन प्रस्तावित है, "भूमि में उपयोग के अधिकार" का अधिग्रहण करना आवश्यक है, जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित है;

अतः, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइनों (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा इस भूमि में उपयोग के अधिकार के अधिग्रहण की मंशा घोषित की जाती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में रुचि रखता है, वह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना की भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रति के सामान्य जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से इक्कीस (21) दिनों की अवधि के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अधिकार के अधिग्रहण पर लिखित रूप में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, सक्षम प्राधिकारी (कोहिमा), एम/एस इंड्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, नागालैंड राज्य को।

अनुसूची

जिला : कोहिमा				राज्य : नागालैंड		
सर्कल	मौज़ा	गांव का नाम	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जाखामा	-	फेसामा	एनसी	00	97	70
जाखामा	-	किगवेमा	एनसी	01	31	10
जाखामा	-	मीमा	एनसी	03	99	30
जाखामा	-	जाखामा	एनसी	02	94	30
जाखामा	-	विसवेमा	एनसी	01	72	30
जाखामा	-		एनसी	05	50	60
जाखामा	-	किडिमा	एनसी	00	55	40
जाखामा	-	खुजामा	एनसी	00	69	30

[फा. सं. एल - 14014-04-2025 - जीपी- II (ई - 53203)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

S.O. 2771(E).— Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Dimapur – Imphal – Nagaland Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Nagaland, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Kohima), M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Nagaland.

SCHEDULE

District : Kohima				State: Nagaland		
Circle	Mauza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hec.	Arc	Sq.Mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jakhama	-	Phesama	NC	00	97	70
Jakhama	-	Kigwema	NC	01	31	10
Jakhama	-	Mima	NC	03	99	30
Jakhama	-	Jakhama	NC	02	94	30
Jakhama	-	Viswema	NC	01	72	30
Jakhama	-		NC	05	50	60
Jakhama	-	Kidima	NC	00	55	40
Jakhama	-	Khuzama	NC	00	69	30

[F. No. L – 14014-04-2025 - G P - II (E - 53203)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.